मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

कमांक दी-6/1-1/2014/14-3 भोपाल, दिनांक 12/2/14

आदेश कमांक –एक

" मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना "

प्रति,

1. कलेक्टर
..... जिला (समस्त)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत.....(समस्त)
3. उप संचालक कृषि
जिला..... (समस्त)
4. प्राचार्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र
जिला..... (समस्त)
5. परियोजना संचालक "आत्मा"
जिला..... (समस्त)

विषयः–मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना मार्गदर्शी निर्देश ।

मध्यप्रदेश की अर्थ व्यवस्था में कृषि मेरुदण्ड के समान हैं। प्रदेश में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि एवं उसका स्तर मुख्यतः कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर द्वारा निर्धारित होता है। मध्यप्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से सम्बद्ध है एवं इसमें 7 प्रकार की मृदा ,11 प्रकार की कृषि जलवायु क्षेत्र एवं 5 फसलीय क्षेत्रों का उपलब्ध होना इसे सभी फसलों को उगाने के लिए उपयुक्त बनाता है। खेती को लाभकारी बनाने के लिए अब आवश्यक हो गया है कि किसानों के सम्मुख केवल कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि का ही लक्ष्य न रखें वरन् भविष्य में उत्पादित की जाने वाली फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि करते हुए अच्छी कीमत प्राप्त करें ।

कृषि उत्पादन बढ़ाने में भ्रमण की अहम भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2013–14 में **मुख्यमंत्री खेत तीर्थ** योजना अंतर्गत कृषि महा विद्यालय एवं कृषि शोध संस्थाओं के द्वारा ऐसे शासकीय, अर्ध्दशासकीय, अशासकीय खेतों/खेतों के समूह को चिन्हित किया जायेगा जो अपने आप में एक उदाहरण हैं। जिससे अन्य किसान भी सीख सकते हैं, ऐसे खेत तीर्थ को देखने के लिए प्रदेश के ही दूसरे पिछडे किसानों को भेजा जायेगा ।

(1) योजना का नाम :– " मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना "

कृषि उत्त्पादन, उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृध्दि कर कृषकों के जीवन स्तर में सुधार लाना ।

(2) योजना का उद्देश्य :–

1– प्रत्यक्ष अनुभव लेकर राज्य के प्रगतिशील कृषकों की उन्नत तकनीकों को अधिक से अधिक कृषकों तक पहुंचाना ।

2– नवीन कृषि शोध की जानकारी पिछडे कृषकों तक पहुंचाना ।

3– स्थानीय एवं राज्य स्तर पर उन्नत तकनीकी का प्रचार प्रसार करना ।

4– उन्नत कृषि कार्यो को अन्य कृषकों तक पहुंचाना ।

5– शासकीय कृषि प्रक्षेत्र, के0वी0के0अनुसंधान केन्द्र एवं कृषि विश्व विद्यालय में उक्त तकनीकी प्रक्षेत्र तैयार करना ।

(3) योजना का कार्यक्षेत्र :– प्रदेश के समस्त 51 जिले

(4) स्थल चयन :–

इस योजना के अन्तर्गत देश के उन्नत कृषि तकनीकी संस्थान, कृषि महाविद्यालयों एवं कृषि शोध एवं अनुसंधान के आदर्श प्रक्षेत्र, कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा आयोजित प्रदर्शन, प्रगतिशील उत्कृष्ट कृषकों के द्वारा किये गये उन्नत कृषि कार्यो के खेतों का चयन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की चिन्हित गतिविधियां,चारागाह विकास,रेशम पालन, पशुपालन की उत्तम व्यवस्था, प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय प्रक्षेत्र जहां अलग–अलग विशेषताओं के प्रयोग किये जा रहे हैं । बीज निगम के प्रक्षेत्र, अन्य निजी संस्थाओं, सार्वजनिक उपकमों, गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित प्रक्षेत्र । क्षैत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र राज्य के अंदर केन्द्र सरकार के संस्थान, केन्द्र सरकार आई0सी0ए0आर0 के संस्थान जैसे केन्द्रिय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान नबीबाग भोपाल, राष्ट्रीय, सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र इन्दौर, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल, केन्द्रिय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान बुधनी सीहोर, खरपतवार अनुसंधान केन्द्र जबलपुर, मत्स्य पालन के आदर्श प्रक्षेत्र तालाब, क्षेत्रीय गेहूं अनुसंधान केन्द्र इन्दौर, बोरलाग इंस्टीट्यूट आफ़ साउथ एशिया जबलपुर आदि संस्थाओं द्वारा उन्नत तकनीकों के क्षेत्र में किये गये कार्यो का अवलोकन ।

(5) प्रशासनिक व्यवस्था:–

योजना के सफल कियान्वयन के लिये जिले के उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास कार्यालय में पदस्थ एक सहायक संचालक कृषि इस योजना हेतु नोडल अधिकारी होगें एवं विकासखंड में पदस्थ मैदानी अधिकारी द्वारा कियान्वयन किया जावेगा ।

(6) योजना के मुख्य घटक :–

योजना के प्रमुख घटक राज्य के बाहर भ्रमण, राज्य के अंदर भमण, जिले के अन्दर भ्रमण, का आयोजन किया जाना हैं, तथा शासकीय प्रक्षेत्र और के0व्ही0के0, अनुसंधान केन्द्र, एवं कृषि विश्वविद्यालय में उन्नत तकनीकी प्रक्षेत्र तैयार करना/नवीन प्रदर्शन स्थलों का विकास करना।

कृषक भ्रमण के स्थान चयन हेतु गठित समिति एवं प्रावधान संबंधी जानकारी निम्नानुसार हैं ।

6.1 मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना हेतु राज्य के बाहर स्थान चयन हेतु समिति में निम्नलिखित सदस्य होगें:–

1–प्रमुख सचिव, कि0क0तथा कृषि विकास म0प्र0 भोपाल	अध्यक्ष
2–संचालक, कि0क0तथा कृषि विकास म0प्र0 भोपाल	सदस्य सचिव
3–प्रमुख सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	सदस्य
4–संचालक कृषि अभियांत्रिकी	सदस्य
5–प्रमुख सचिव, पशुपालन	सदस्य
6–प्रमुख सचिव, मत्स्य उद्योग	सदस्य
7 प्रमुख सचिव, रेशम पालन	सदस्य
8–कुलपति, जे0एन0के0वि0वि0 जबलपुर एवं आर0एस0के0वि0वि0ग्वालियर	सदस्य
10–केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकीय संस्थान भोाल के प्रमुख	सदस्य
11–राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र इन्दौर के प्रमुख	सदस्य
12–भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल के प्रमुख	सदस्य
13–केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान बुदनी सीहोर के प्रमुख	सदस्य
14–बोरलाग इन्सटीट्यूटऑफ साउथ एशिया जबलपुर के प्रमुख	सदस्य
15–केन्द्रीय खर–पतवार अनुसंधान केन्द्र जबलपुर के प्रमुख	सदस्य
16–क्षेत्रीय गेंहूँ अनुसंधान केन्द्र इन्दौर के प्रमुख	सदस्य

6.1.1 उक्त समिति निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वाह करेगी –

अ– कृषकों को अवलोकन कराये जाने हेतु राज्य के बाहर स्थित विकसित शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय खेतों/खेत समूहों को चिन्हित करना ।

ब– राज्य के बाहर चयनित खेत/खेत समूहों के भ्रमण के लिये आवश्यक एवं उपयोगी जानकारी का संग्रहण एवं प्रचार–प्रसार ।

स– कृषकों की सुविधा के उद्देश्य से अन्य आवश्यक कार्य करना एवं सुझाव देना।

द– अन्य कार्य जो समय सीमा पर सरकार व्दारा सौंपे जायेंगे।

समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण समिति की कार्यवाही को प्रश्नगत नहीं किया जायेगा ।

6.2.– मुख्यमंत्री खेततीर्थ योजना हेतु राज्य के अंदर भ्रमण के स्थान चयन हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जावेगी

1–संचालक कि0क0तथा कृषि विकास म0प्र0 भोपाल	अध्यक्ष
2–संयुक्त संचालक(विस्तार एवं प्रशिक्षण) कि0 क0 तथा कृषि वि0 सचिव	संदस्य
3–संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	सदस्य
4–संचालक कृषि अभियांत्रिकी	सदस्य
5 संचालक, पशुपालन	सदस्य
6–संचालक, मत्स्य उद्योग	सदस्य
7 संचालक रेशम पालन	सदस्य
8–संचालक विस्तार सेवाएं जे0एन0के0वि0वि0 जबलपुर एवं आर0एस0कमे0वि0वि0ग्वालियर	सदस्य
9–संचालक अनुसंधान सेवाएं जे0एन0के0वि0वि0 जबलपुर एवं आरएस0के0वि0वि0ग्वालियर	सदस्य
10–केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकीय संस्थान भोपाल के प्रतिनिधि	सदस्य
11–राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र इन्दौर के प्रतिनिधि	सदस्य
12–भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल के प्रतिनिधि	सदस्य
13–केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान बुदनी सीहोर के प्रतिनिधि	सदस्य
14–बोरलाग इन्सटीट्यूटआफ साउथ एशिया जबलपुर के प्रतिनिधि	सदस्य
15–केन्द्रीय खर–पतवार अनुसंधान केन्द्र जबलपुर	सदस्य
16–क्षेत्रीय गेंहूँ अनुसंधान केन्द्र इन्दौर के प्रतिनिधि	सदस्य

समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण समिति की कार्यवाही को प्रश्नगत नहीं किया जायेगा ।

6.2.1– उक्त समिति निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वाह करेगी –

अ–कृषकों को अवलोकन कराये जाने हेतु राज्य के अन्दर स्थित विकसित शासकीय , अर्धशासकीय, अशासकीय खेतों/खेत समूहों को चिन्हित करना ।

ब– राज्य के चयनित खेत / खेत समूहों को राज्य के अन्दर भ्रमण के लिये आवश्यक एवं उपयोगी जानकारी का संग्रहण एवं प्रचार–प्रसार ।

स–कृषकों की सुविधा के उद्देश्य से अन्य आवश्यक कार्य करना एवं सुझाव देना।

द–अन्य कार्य जो समय सीमा पर सरकार व्दारा सौंपे जायें ।

6.3 मुख्य मंत्री खेत तीर्थ योजना जिला स्तरीय प्रबंधन समिति

उक्त समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे –

1–कलेक्टर– अध्यक्ष

2–उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास– सचिव सदस्य

3–परियोजना संचालक आत्मा– सदस्य

4–उप संचालक/सह0ा संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण– सदस्य

5–उप संचालक पशुपालन– सदस्य

6–उप संचालक/सहा0 संचालक, मत्स्य पालन– सदस्य

7–उप संचालक/सहा0 संचालक रेशम– सदस्य

8–कृषि विज्ञान केन्द्र के समन्वयक/–क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र प्रभारी – सदस्य

समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण समिति की कार्यवाही को प्रश्नगत नहीं किया जायेगा ।

6.3.1– मुख्य मंत्री खेत तीर्थ योजना जिला स्तरीय प्रबंध समिति के कर्तव्य–

समिति निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वाह करेगी –

अ) कृषकों को अवलोकन कराये जाने हेतु जिले के अन्दर स्थित विकसित शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय खेतों/खेत समूहों को चिन्हित करना ।

ब) जिले के चयनित खेत/खेत समूहों को जिले के अन्दर भ्रमण के लिये आवश्यक एवं उपयोगी जानकारी का संग्रहण एवं प्रचार–प्रसार ।

स) कृषकों की सुविधा के उद्देश्य से अन्य आवश्यक कार्य करना एवं सुझाव देना।

द) अन्य कार्य जो समय सीमा पर सरकार व्दारा सौंपे जायें ।

(7) <u>वित्तीय व्यवस्था :–</u>

संचालक कृषि जिले के उप संचालक कृषि को कार्यक्रम कियान्वयन के लिए भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु वित्तीय आवंटन जारी करेगें ।

बजट मांग संख्या 13–कृषि (आयोजना) 2401–फसल कृषि कार्य 109–विस्तार एवं किसानों का प्रशिक्षण 0101–राज्य आयोजना (सामान्य), 0102–आदिवासी क्षेत्र उप योजना, 0103–अनुसूचित जाति उप योजना, 7438 मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना 01011–कृषि उत्पादन 42– सहायक अनुदान 007– अन्य व्यय के प्रस्तावित बजट से दिया जावेगा ।

राज्य के बाहर भ्रमण हेतु नॉर्म्स 600/– रु0 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, राज्य के अन्दर भ्रमण 300/– रु0 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जिले के अन्दर भ्रमण 250/– प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित है। (आत्मा केफेटेरिया अनुसार समय समय पर केफेटेरिया के कास्ट नार्म्स में संशोधन होने पर स्वतः संशोधित माना जावेगा)।

(8) योजना की रणनीति :–

इस योजना द्वारा चयनित कृषकों को उन्नत खेतों कृषि प्रक्षेत्रों का भ्रमण कराया जायेगा, कृषकों को नवीन तकनीकी जानकारी देने हेतु देश एवं प्रदेश के अन्दर चल रहे अनुसंधान एवं नवीन तकनीकों का अवलोकन कराया जाकर उनका ज्ञान वर्धन किया जावेगा।

कृषि महाविद्यालयों/कृषि शोध संस्थाओं द्वारा ऐसे महाविद्यालयों/अनुसंधान प्रक्षेत्रों/कृषि विज्ञान केन्द/प्रगतिशील उत्कृष्ट कृषकों के द्वारा किये गये उन्नत कृषि कार्यो को चिन्हित कर खेतों का चयन कर अन्य पिछडे कृषकों को दिखाने हेतु भ्रमण कराया जावेगा। प्रत्येक त्रैमास में भ्रमण कराये जाने योग्य स्थल, खेतों की जानकारी अपडेट की जावेगी । नवीन क्षेत्रों को आवश्कतानुसार विकसित भी किया जावेगा ।

(9) लक्ष्यों का निर्धारण :–

संचालक कृषि, योजना के प्रावधान अनुसार जिलों में मुख्य मंत्री खेत तीर्थ योजनान्तर्गत बारहवीं पंचवर्षीय योजनाकाल हेतु वर्षवार, गतिविधियोंवार लक्ष्यों का विवरण परिशिष्ट–1 पर है। कुल कृषकों की संख्या को ध्यान में रखकर जिले के लिए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करेंगें ।

उप संचालक कृषि कृषकों की संख्या के आधार पर विकासखण्डवार लक्ष्यों का विभाजन कर अनुविभागीय कृषि अधिकारी एवं विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को सूचना देंगें ।

वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी प्राप्त लक्ष्यों का विभाजन, प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारीवार करेगें ।

(10) कियान्वयन :–

राज्य के बाहर, राज्य के अंदर, जिले के अन्दर कृषक भ्रमण हेतु वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के मार्गदर्शनानुसार कृषि विकास अधिकारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भ्रमण हेतु कृषकों का चयन करेगें । कृषकों का साक्षर होना एवं वयस्क उम्र का होना उपयोगी होगा ।

कृषि विज्ञान केन्द्रों/अनुसंधान केन्द्रों/शासकीय अर्द्धशासकीय प्रक्षेत्रों को इस योजनान्तर्गत नवीन प्रदर्शन स्थल विकसित/तैयार करने हेतु कम से कम 5 एकड़ जगह चयनित करनी होगी । उक्त चिन्हित जगह पर उन्नत कृषि तकनीक माड्यूल्स तैयार करने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र/शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रक्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त कर व्यय की प्रतिपूर्ति जिले की समिति से कराई जाये । इस योजना के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र में अलग खाता खोला जाये। (बैठक में विशरेष रुप से उपस्थित कुलपति व्दारा सहमति दी गई)। एक जिले में एक से अधिक कृषि विज्ञान केन्द्र के अलावा आई0सी0ए0आर0 इन्सटीट्यूट, आंचलिक अनुसंधान केन्द्र, कृषि महाविद्यालय होने पर सभी से कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन हेतु खरीफ–रबी एवं ग्रीष्म के उन्नत माड्यूल्स तैयार करने हेतु प्रस्ताव

प्राप्त किये जाकर निर्धारित अधिकतम सीमा अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जाये। प्रथम बार माड्यूल तैयार होने के उपरान्त केवल संधारण व्यय का ही अनुमोदन दिया जाये ।

(11) <u>लक्षित समूहः–</u>

जिले के पिछडे कृषक, कुल कृषकों की संख्या का 30 प्रतिशत महिला कृषक होंगी।

(12) <u>हितग्राही चयनः–</u>

योजनान्तर्गत हितग्राही चयन हेतु जिला स्तर पर कृषकों की अभिरुचि अनुसार ऐसे कृषकों के आवेदन आमंत्रित किए जायें जो स्वयं खेती करते हों । जिला सतरीय समिति व्दारा उनका अनुमोदन जिले के वित्तीय लक्ष्यों के अनुरुप किया जाये । जिले की जनसंख्या के मान से हरिजन, आदिवासी कृषकों का तथा 30 प्रतिशरत महिला कृषकों को प्रतिनिधित्व दिया जाये ।

(13) <u>योजना की समीक्षा एवं मूल्यांकन</u> :–

जिले स्तर पर उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विकासखंड वार लक्ष्य पूर्ति की मासिक समीक्षा करेंगें । प्रत्येक त्रैमास में संचालनालय स्तर पर जिलेवार समीक्षा की जावेगी । राज्यस्तर पर प्रत्येक त्रैमास में समीक्षा एवं जिलों के फीड बैक के आधार पर आगामी वर्ष हेतु कार्यकम में सुझावों को शामिल किया जावेगा ।

(14) <u>सूचना तंत्र</u> :–

सूचना तंत्र के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में भ्रमण योग्य स्थानों को विभागीय बेवसाइड पर दर्शित किया जावेगा जिसे प्रत्येक त्रैमास में अपडेट किया जावेगा ।

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसारी

( )
प्रमुख सचिव/2/2014
म0प्र0शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

क्रमांक डी-6/1 2014/14-3

भोपाल, दिनांक 12/2/14.

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मुख्यमंत्री, म.प्र.शासन,मंत्रालय भोपाल।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, कृषि विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल।
3. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, म.प्र.शासन भोपाल।
4. स्टॉफ ऑफिसर कृषि उत्पादन आयुक्त म0प्र0शासन भोपाल ।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन वित्त/उद्यानिकी/मत्स्य/पशुपालन/रेशम/ प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड/प्रबंध संचालक बीज प्रमाणीकरण संस्थान/किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मंत्रालय, भोपाल।
6. संचालक, उद्यानिकी/मत्स्य/पशुपालन/रेशम/ प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड/प्रबंध संचालक बीज प्रमाणीकरण संस्थान/किसान कल्याण तथा कृषि विकास/कृषि अभियांत्रिकी म0प्र0 भोपाल।
7. संभागीय आयुक्त (समस्त) ....म.प्र.।
8. कुलपति जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय,जबलपुर/राजमाता विजयाराजे सिन्धिया कृषि विश्व विद्यालय ग्वालियर ।

9- निदेशक, केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकीय संस्थान, नबीबाग बैरसिया रोड,भोपाल।
10- निदेशक, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र, खण्डवा रोड, इन्दौर।
11- निदेशक, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान नबीबाग बैरसिया रोड,भोपाल।
12- केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, ट्रेक्टर नगर, बुदनी जिला-सीहोर।
14- निदेशक, बोरलाग इन्सटीट्यूट ऑफ साउथ एशिया जबलपुर ।
15- निदेशक, केन्द्रीय खर-पतवार अनुसंधान केन्द्र आधारताल, जबलपुर ।
16- क्षेत्रीय गेंहूँ अनुसंधान केन्द्र इन्दौर ।

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

उप सचिव
म0प्र0शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
विभाग

C:\Users\hcl\Desktop\TIRTH.doc

परिशिष्ट--एक

मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजनांतर्गत वर्षवार, मदवार लक्ष्य

क.	गतिविधियों का नाम	ईकाई	वित्तीय सीमा रू.	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू)	प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य (कृषक दिवस)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू.)	प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य (कृषक दिवस)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू.)	प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य (कृषक दिवस)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू)	प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य (कृषक दिवस)	भ्रमण की अधिकतम अवधि	रिमार्क
				वर्ष 2013–14		वर्ष 2014–15		वर्ष 2015–16		वर्ष 2016–17			
1.	कृषक भ्रमण												
	राज्य के बाहर	प्रति कृषक प्रतिदिन	600	150	25000	300	50000	450	75000	585	97500	10 दिवस	
	राज्य के अंदर	प्रति कृषक प्रतिदिन	300	200	66600	300	100000	450	150000	585	195000	5 दिवस	
	जिले के अंदर	प्रति कृषक प्रतिदिन	250	100	40000	200	80000	300	120000	390	156000	2 दिवस	
	योग			**450**		**800**		**1200**		**1560**			
2.	नवीन प्रदर्शन स्थलों का विकास	अधिकतम सीमा प्रति केव्हीके/अनुसंधान केन्द्र											
	खरीफ	2.5 लाख		–		60		110		130			
	रबी	3.0 लाख		–		90		120		160			
	ग्रीष्म	4.0 लाख		50		50		70		100			
	योग			**50**		**200**		**300**		**390**			
	महायोग			**500**		**1000**		**1500**		**1950**			

* प्रस्तावित आयोजना राशि का व्यय मद 41 में 20 प्रतिशत, मद 64 में 16 प्रतिशत एवं शेष सामान्य मद में किया जावेगा।